International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

नारी उद्धार के लिए ज्योतिबा फुले के प्रयास: एक अध्ययन

प्रस्तुतकर्ता

पवन कुमार प्रवक्ता इतिहास

रा. व. मा. विद्यालय उखलचना झज्जर

नारी उद्धार के लिए ज्योतिबा फुले के प्रयास: एक अध्ययन

शोध आलेख सार:- शताब्दियों से भारतीय समाज सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था जिसके चलते महिलाएं सामाजिक अन्याय एवं भेदभाव के कारण अभिशाप पूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य थी । समाज में पुरुष प्रधानता थी जिसके चलते महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी महिलाओं का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग ना के बराबर था लड़की का पैदा होना अत्यंत दुख हुआ दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था । इसी कारण कुछ माता-पिता अपने नवजात पुत्रियों की हत्या तक कर डालते थे । कन्या हत्या की कुप्रथा के अलावा भी महिलाओं को अनेक अन्य सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, आदि का शिकार बनना पड़ता था । समय-समय पर इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए कई समाज सुधारक हुए । 19वीं सदी में ऐसी ही एक शख्सियत महाराष्ट्र में हुई जिनको ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है । उन्होंने अपना सारा जीवन महिलाओं को सम्मान दिलाने में लगा दिया ।

<u>महात्मा ज्योतिबा फुले</u>

महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम ज्योतिराव था इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ[1]। यह माली जाति से संबंध रखते थे । इनका परिवार खेती बाड़ी करता था । ज्योतिबा फुले का 13 वर्ष की आयु में 1840 में सावित्री बाई के साथ विवाह हुआ । महात्मा फुले ने अपने चिंतन में हमेशा नारी को पुरुष के समान दर्जा दिलाने पर बल दिया । वह इसके साथ-साथ स्त्री उद्धार हेतु उन्होंने अदम्य प्रयास की किए ।

वैदिक साहित्य के आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रिग वैदिक काल में पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी तथा धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेती थी ।

परंतु बाद के समय स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई । मनुस्मृति की आड़ लेकर स्त्रियों से पुरुष प्रधान समाज द्वारा तमाम अधिकार छीन लिए गए । समाज के रूढ़िवादी लोगों का यह तर्क था कि स्त्री यदि पढ़ लिख जाती है तो उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है । इससे पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है। अतः बेहतर यह है कि स्त्री को पढ़ने ही ना दिया जाए[2] ।

ज्योतिबा फुले की यह दृढ़ धारणा थी कि जब तक स्त्री को पुरुष के समान ही शिक्षित और सुसंस्कृत नहीं किया जाएगा तब तक ना तो उसके स्थिति में सुधार होगा और ना ही उससे राष्ट्र तथा समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान करने की अपेक्षा की जा सकेगी । इसके लिए उन्होंने शुरुआत अपने घर से ही की । उन्होंने 1848 में भिंडी वाला भिंडवाला (पुणे) में निम्न जाति की कन्याओं के लिए कन्या विद्यालय का शुभारंभ किया तो उनको पता था कि उनको समाज के ठेकेदारों से लड़ना अवश्य पड़ेगा । इस विद्यालय के लिए अध्यापिकाओं की आवश्यकता थी। परंतु इस विद्यालय में अध्यापन करने के लिए कोई तैयार नहीं था । तब महात्मा फुले ने पहले अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाया और बाद में मिसेज मिचेल के नॉर्मल स्कूल में अध्यापिका का प्रशिक्षण दिलवाया । सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं में शिक्षा के प्रसार प्रचार का जिम्मा उठाया । ज्योतिबा के स्त्री उद्धार कार्यों में उनकी पत्नी ने हमेशा उनको भरपूर सहयोग दिया[3] । ज्योतिबा फूले न केवल महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने पर बल देते थे अपितु स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन करते थे । उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की दशा का मूल कारण उनका अशिक्षित होना ही था ।

इनका पूरा विश्वास था कि एक ज्योति अनगिनत प्रकाश का मूल बन सकती है । अतः हर शिक्षित स्त्री पुरुष का दायित्व है कि वह अपने आस पड़ोस के लोगों को शिक्षा दें[4] । स्वयं फूले ने इस दिशा में काफी कार्य किया और पुणे तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक स्कूलों की स्थापना की । जिनमें से कुछ ऊंची तथा नीची जाति जातियों की कन्याओं के लिए खोलें । महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि जिस प्रकार इस समाज में शूद्रों को दबाया गया है उसी प्रकार स्त्रियों को भी दबाया गया है । अपनी एक काव्य रचना में उन्होंने शूद्र महिलाओं के बारे में कहा है-

शुद्र जस वैसी ही नारी भी दीन

उन पर हथियार उठाते यह सारे बुद्धिहीन

निराधार है व्यर्थ की नारी निंदा

सपष्ट नफरत ही दिखाई पड़ती है[5] ।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री और पुरुष दोनों को मानव अधिकारों का प्रबल समर्थन किया । उनके अनुसार भारतीय समाज का नजरिया स्त्री और पुरुषों में अलग अलग होना मानव अधिकारों के हनन को दर्शाता है । संपूर्ण स्त्री पुरुष समाज के समान मानव अधिकारों की वकालत करते हुए फुले ने लिखा है, " नारी और पुरुष समान रूप से सभी मानवीय अधिकारों का उपभोग करने के हकदार हैं । फिर नारियों के लिए अलग-अलग प्रकार के नियम और अविकारी पुरुषों के लिए दूसरे प्रकार के नियम व्यवहार में लाना पक्षपात के अलावा कुछ नहीं है। कुछ अहंकारी पुरुषों ने अपनी पुरुष जाति के स्वार्थ के लिए नकली स्वार्थ प्रेरित धर्म किताबों में नारियों के बारे में इस तरह के स्वार्थी लेख लिखे हैं[6] ।"

महिला उद्धार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए फुले ने स्त्री विरोधी व सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया । तत्कालीन समाज में व्यापक रूप से समाज में फैले ऐसी अनेक बुराइयां थे जिनका विरोध ज्योतिबा फुले ने किया । विधवा प्रथा एक ऐसी ही बुराई थी । प्राचीन काल से ही विधवाओं पर अनेक तरह के अत्याचार होते थे । वे अशुभ छाया के रूप में देखी जाती थी । ज्योतिबा ने गहन चिंतन मनन के बाद विधवा का विवाह करने का प्रचार करने, विधवा का मुंडन रोकने और विधवा के अवैध बच्चों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागृत करने का निश्चय किया । इस दिशा में उन्होंने कई सार्थक कदम उठाए । विधवाओं का मुंडन रोकने के लिए ज्योतिबा ने मुंबई में नाइयों की एक सभा का आयोजन करते हुए उन से अपील की कि वे स्त्रियों के प्रति किए जा रहे ऐसे अमानवीय अत्याचार में से कतई भागीदारी ना करें[7]। ज्योतिबा के आह्वान पर नई सभा ने यह संकल्प पारित किया कि कोई भी नहीं अब से किसी विधवा का मुंडन नहीं करेगा ।शीघ्र ही है समाचार देश के कोने-कोने में पहुंच गया। यहां तक कि इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया[8]। देश के अन्य हिस्सों में भी नाइयों ने इस संकल्प का समर्थन किया । धीरे-धीरे विधवा मुंडन की कुप्रथा बंद होने लगी और विधवाएं कुछ हद तक सम्मान का जीवन जीने लगी[9] । महात्मा फुले ने देखा कि उच्चवर्गीय लोगों में विधवा विवाह निषेध है । उनका कहना था कि जब उच्च वर्ग का विदुर दूसरी शादी कर सकता है तो विधवा बालिका या स्त्री दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती । एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते ज्योतिबा विधवाओं के कष्ट पूर्ण जीवन की पीड़ा को गहराई से समझते थे । विधवाओं पर हो रहे जुल्मों का विरोध करते हुए उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में उनकी दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, ".....पति के मरते ही उसकी औरत के पति केशव के पांव का अंगूठा अपने हाथ में लेकर दूसरी जाति के हज्जाम के हाथों अपना सिर मुंडवा लेना तन पर चढ़े छोटे-छोटे गहने मौत के रास्ते पर सवार

अपने बूढ़े ससुर के हाथों में देकर स्वयं अपने हाथों में तुलसी की माला पहन कर भिखारिन हो जाना और स्वयं केवल झाड़ू लगाने वाली मातंगिनी की मंडली में गुजारा करके केवल जिंदा रहने की अभिलाषा रखना यह किस दुनिया का न्याय है[10]?" ज्योतिबा फुले के प्रोत्साहन तथा सक्रिय सहभागिता से पुणे के गोखले बाग में 8 मार्च 1860 को पहली बार एक ब्राह्मण विधवा युवती का विवाह उसकी जाति के एक विधुर ब्राह्मण के साथ संपन्न करवाया गया । विवाह के समय उस युवती की आयु 18 वर्ष थी । कुछ चरित्रहीन पुरुष उन भोली भाली विधवा स्त्रियों को बहला-फुसलाकर उनके साथ अनैतिक संबंध स्थापित करके उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे धंधों में धकेल देते थे । उन लोगों के अनैतिक आचरण से ऐसी विधवाओं के बच्चे पैदा हो जाते थे जिन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी । कुछ विधवा स्त्रियां चुपचाप प्रसव करा कर अपने बच्चों को कूड़े के ढेर अथवा नदी नालों में फेंक देती थी । उस समय लोकलाज के भय से अनेक गर्भवती स्त्रियां आत्महत्या तक कर लेती थी [11] । इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ज्योतिबा ने एक योजना बनाई कि यदि गर्भवती विधवाओं तथा उन जैसी अन्य अभाग्य महिलाओं की प्रसूति गोपनीय तरीके से कराई जाए तो वह जान जोखिम में डालकर गर्भपात कराने की अपेक्षा सहज प्रसूति के लिए बाहर आएंगे । साथ ही वे सामाजिक अपमान और तिरस्कार से भी बच जाएगी यही सोच कर ज्योतिबा फुले ने 1863 में पुणे में अपने घर में ही स्त्रियों हेतु एक प्रसूति केंद्र बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की इसकी सार्वजनिक जानकारी के लिए पुणे में कई स्थानों पर इश्तिहार लगाए गए जिनमें लिखा था, " विधवा बहनों प्रसूति पूर्व गुप्त रूप से हमारे यहां आ जाइए और सुरक्षित रूप से अपने शिशु को जन्म दीजिए । आप अपने बच्चे को चाहे तो लालन-पालन के लिए हमारे पास छोड़ सकती हैं और उन्हें साथ ले भी जा सकती हैं । यह संस्था गर्भवती विधवाओं के लिए उन्हें बदनामी भ्रूण हत्या एवं बाल हत्या जैसे अपराधों से बचाने के लिए खोली गई है ।" महात्मा फुले द्वारा खोले गए इस प्रसूति गृह में अनेक गर्भवती विधवाओं ने आकर अपने बच्चों को जन्म दिया । बालहत्या प्रतिबंधक गृह सुधार कार्य के बारे में फुले के सहायक और मित्र परमानंद ने सराहना करते हुए लिखा है, " ऊंची जातियों की जो भी महिलाएं कुमार्ग पर चली गई, ज्योतिबा फूले ने उनके मातृत्व की रक्षा की । उन्होंने कई विधवाओं को आत्महत्या जैसे गंभीर अपराधों से बचाया इस तप का सचमुच कोई जोड़ नहीं है ।"

1852 में एक मुंबई के समाचार पत्र में एक हृदय विदारक घटना प्रकाशित हुई भुज की महिला को कुछ ब्राह्मणों ने उसके पति की चिता के साथ बलपूर्वक जलाना चाहते थे । लेकिन वह मरना नहीं चाहती थी । जब अंग्रेज अधिकारियों ने इस क्रूर कार्यों को रोकना चाहा तो रुढ़िवादी लोगों ने उसे जबरन जलती चिता में

फेंक दिया [12] । यद्यपि 1829 में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को बंद कर दिया था परंतु समाज में यह अमानवीय प्रथा लगातार जारी थी । ज्योतिबा फूले ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई । उन्होंने सती प्रथा को अत्याचार की पराकाष्ठा माना।[13] उनके अनुसार यह पुरुषों का नारी पर अत्याचार था जो जानबूझ कर की गई हत्या की श्रेणी में आता है ।[14]

ज्योतिबा बाल विवाह को भी एक गंभीर सामाजिक बुराई मानते थे। स्वयं फूले ने बाल विवाह की कुप्रथा के परिणामों को अनुभव किया था । उस समय यह प्रथा इतनी अधिक प्रचलित थी कि कभी कभी तो किसी बालक के पैदा होते ही उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता था[15]। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए ज्योतिबा ने सरकार को सुझाव दिया कि लड़के के लिए विवाह की आयु 19 वर्ष व लड़की के लिए 12 वर्ष कम से कम हो । उन्होंने उस चर्चित न्यूनतम विवाह आयु कानून की पैरवी की जिसके लिए मुंबई प्रांत के एक अन्य समाज सुधारक बेहरामजी मालाबारी आंदोलन कर रहे थे ।

महात्मा फुले ने बहु विवाह की समस्या की ओर भी ध्यान दिया। फुले के अनुसार बहुविवाह प्रथा के कारण लोग भ्रष्ट होते जा रहे थे । पुरुष बहुविवाह के कई कारण बताते हैं - अनमेल जीवनसाथी, स्त्री से असंतुष्टि, संतान उत्पत्ति ना होना आदि । इस प्रथा के विरुद्ध ज्योतिबा स्वयं एक उदाहरण बन कर समाज के सामने आए । उनकी कोई संतान नहीं थी । परिवार वालों के बार बार कहने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया । वह इस कुप्रथा के विरुद्ध रहे इसके बारे में उनका कहना था , "यदि कोई स्त्री कहे कि उसे दूसरा विवाह करना है तो क्या पति को यह बात गवारा होगी।" इसलिए पति द्वारा दूसरा विवाह करना अत्यंत अवांछनीय व निष्ठुर प्रथा है । इस प्रथा के बारे में उनका कहना था, " पुरुष वर्ग अपने स्वार्थ में वासना पूर्ति के लिए इस प्रथा को बढ़ावा दे रहा है[16] ।"

निष्कर्ष- नारी की स्वतंत्रता के रास्ते में उपस्थित प्रत्येक बाधा का महात्मा ज्योतिबा फुले ने जमकर विरोध किया और नारी उद्धार के क्षेत्र में अहम योगदान दिया तथा अपने समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की समस्याओं को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनका समाधान करने हेतु लगातार प्रयासरत रहे ।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

संदर्भ सूची

1. धनंजय कौर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवोल्यूशन पृष्ठ 1
2. ऍम. पी. कमल, दलित संघर्ष के महानायक,पृष्ठ 28- 29
3. डी.के. खापर्डे, आधुनिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ,98-99
4. ज्योतिबा फुले , किसान का कोड़ा, पृष्ठ 1
5. एल. जी. मेश्राम विमल कीर्ति, महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली खंड- 2, पृष्ठ 40
6. उपरोक्त ,111
7. गेल ओम वेद, कल्चरल रिवोल्ट इन कोलोनियल सोसाइटी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, 48
8. उपरोक्त, 49
9. उपरोक्त, 50
10. एल. जी. मेश्राम विमल कीर्ति, महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली खंड- 2, 50
11. उपरोक्त, 46-47
12. उपरोक्त, 168
13. धनंजय कौर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवोल्यूशन पृष्ठ 88
14. उपरोक्त, 88
15. गेल ओम वेद, कल्चरल रिवोल्ट इन कोलोनियल सोसाइटी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, 49
16. तर्क तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी , बायोग्राफी ऑफ़ ज्योतिराव फूले, पृष्ठ 66